

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1 (ख), शासनादेश संख्या 221278/XXX(2)/2024/E-33080 28 जून, 2024 एवं संख्या 1/229265/XXX(2)/2024/E-33080 31 जुलाई, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटर का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जय प्रकाश, वैक्सीनेटर	पशुचिकित्सालय- पोखरी जनपद- चमोली	पशुचिकित्सालय-नैनीसैण जनपद-चमोली	निजी अनुरोध (अग्रिम आदेशों तक भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा चमोली में राजकीय कार्यो का सम्पादन करेंगे)

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।

संख्या: 1007/स्था०दो/वा०स्थाना०/2024-25 दिनांक 30 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को अनुपालनार्थ।

(डा० नीरज सिंघल)
अपर निदेशक।